

30/8/14

423

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

1. दीघा अर्जित भूमि बन्दोबस्ती अधिनियम, 2010 की धारा-9 के अंतर्गत अनुग्रह राशि के दावों एवं बन्दोबस्ती प्रभार विनिश्चय करने के प्रयोजनार्थ विभागीय संकल्प सं०-356 दिनांक-26.08.2014 द्वारा गठित प्राधिकार, जिसकी अवधि दिनांक-25.08.2015 को समाप्त हो चुकी है का अवधि विस्तार भूतलक्षी प्रभाव से अगले दो वर्षों के लिये किया जाता है।
2. यह प्राधिकार दीघा अर्जित भूमि बन्दोबस्ती अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(चैतन्य प्रसाद)

सरकार के प्रधान सचिव  
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:- 10/न०वि०नीति-01/2012

640

/न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:- 10/7/17

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक:- 10/न०वि०नीति-01/2012

/न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक:- 10/न०वि०नीति-01/2012

640

/न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:- 10/7/17

प्रतिलिपि:- विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव-सह-निदेशक/विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/उप निदेशक/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक:- 10/न०वि०नीति-01/2012

640

/न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:- 10/7/17

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (गजट शाखा) बिहार, पटना/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी0डी0 के साथ बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि राजपत्र की 200 मुद्रित प्रतियां नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

सरकार के प्रधान सचिव